तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए

एकल–पीठ
श्री रामनिवास जाट, सदस्य

उपस्थित :
श्री आ.एल.दवे, अभिभाषक अपीलांट ।
श्री अयूब खान, अभिभाषक रेस्पोडेंटस

आदेश

हस्तगत् अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम,1956 की धारा–76 के अन्तर्गत न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर कैंप दौसा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18–7–03 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

अपील ज्ञापन अनुसार संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14(4) आवंटन नियम 1970 के तहत न्यायालय जिला कलेक्टर दौसा के यहां प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विवादित आराजी खसरा नंबर 138 में से 9 बिस्वा भूमि भू आवंटन सलाहकार समिति ने रेस्पोडेंटगण को नियमन किये जाने का आदेश दिनांक 11–1–83 का पारित किया वह त्रुटिपूर्ण है क्यों रेस्पोडेंट भूमिहीन नही है तथा उसने तथ्यों को छिपाकर कपटपूर्ण तरीके से भूमि का नियमन कराया है। अतः उसका नियमन निरस्त किया जावे। जिला कलेक्टर ने अपीलांट का उक्त प्रार्थना पत्र आदेश दिनांक 9–3–2000 द्वारा खारिज कर दिया। जिसके विरूद्ध अपीलांट ने प्रथम अपील न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर कैंप दौसा के समक्ष प्रस्तुत की। अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 18–7–03 द्वारा अपील अपीलार्थी खारिज कर दी। जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये बहस में अभिकथन किया कि अपीलांट की माता

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	पार्वती का प्रश्नगत भूमि के 1/2 हिस्सा भूमि पर कब्जा है। पटवारी की गलत रिपोर्ट को आधार मानकर भूमि के नियमन की कार्यवाही केवल रेस्पोडेंट के पक्ष में की गई है। जबकि 1/2 भूमि का नियमन अपीलांट की माता के नाम किया जाना चाहिये था। प्रश्नगत भूमि के आधे हिस्से पर अपीलांट्सव का आज दिनांक तक कब्जाकाश्त है। रेस्पोडेंट पटवारी रिपोर्ट अनुसार भूमिहीन नहीं है। भू आवंटन कमेटी ने नियमन विधि विरूद्ध किया है। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेंट को किया गया नियमन निरस्त किये जाने योग्य था किंतु परीक्षण न्यायालय ने अपीलांट का प्रार्थना पत्र सरसरी तौर पर खारिज कर दिया। जिसे अपीलीय न्यायालय ने भी बहाल रखा। अतः अपील स्वीकार की जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय निरस्त किया जावे। उपरोक्त तर्को का विरोध करते हुये विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट्स का कथन है कि रेस्पोडेंट ने निमयन के समय कोई तथ्य छुपाया नहीं है। आवंटी भूमिहीन कृषक है तथा नियमन दिनांक से विवादित आराजी पर काबिजकाश्त है। रेस्पोडेंट का नियमन विधिवत तौर से भू आवंटन सलाहकार समिति द्वारा किया गया है। रेस्पोडेंट द्वारा आवंटन शर्तो की अवहेलना किया जाना साबित नहीं है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय समवर्ती हैं, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होने से उसमें हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है। अतः अपील खारिज की जावे। उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावली के साथ उपलब्ध निर्णयों का अवलोकन व अध्यन किया गया। अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय जिला कलेक्टर ने अपीलांट का प्रार्थना पत्र विस्तृत विवेचन व विश्लेषण करते हुये इस आधार पर खारिज किया कि पटवारी रिपोर्ट के अनुसार रेस्पोडेंट्स का संवत् 2032 से लगातार कब्जा होना	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	प्रमाणित है। पटवारी रिपोर्ट के अनुसार रेस्पोडेंट की खातेदारी में 6 बीधा 6 बिस्वा चाही भूमि है। आवंटन नियम 1970 के अनुसार चाही भूमि की गणना दुगनी मानकर की जाती है। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेंट की खातेदार में 12 बीधा 12 बिस्वा भूमि होती है। रेस्पोडेंट भूमिहीन है तथा उसे गैरखातेदारी से खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है। भूमि का नियमन नियमों एवं राजस्व अभिलेख के अनुरूप भू आवंटन कमेटी ने नियमानुसार किया है तथा प्रार्थना पत्र नियमन होने के 16 वर्ष बाद विलम्ब से पेश करने की स्थिति में पूर्ण विवेचन व विश्लेषण से खारिज किया गया है। जिसका समर्थन अपीलीय प्राधिकारी द्वारा भी किया गया है। अपीलांट यह सिद्ध करने में में विफल रहे है कि फर्जी, छलपूर्वक व गलत तथ्यों के आधार पर रेस्पोडेंट द्वारा नियमन/आवंटन कराया गया हो। अतः यह सिद्ध नहीं होता की रेस्पोडेंट के पक्ष में अनियमित नियमन/आवंटन हुआ हो। कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) अनुसार :– *"(4) The Collector shall have the power to cancel any allotment made by a Sub Divisional Officer or a Tehsildar under the rules repealed by rule 21 of the rules, either suo-moto or on an application of any person in case the allotment has been secured through fraud or misrepresentation or has been made against rules or in case the allottee has committed breach of any of the conditions of allotment. Provided that no such order to the prejudice of any person shall be passed without giving such person an opportunity of being heard."* उक्त नियम में आवेदक ने आवंटन कपट या दुर्व्यप्रदर्शन द्वारा प्राप्त किया गया हो या नियमों के विरूद्ध किया गया हो। उपरोक्त उल्लेखित, विवेचित तथ्यों से प्रकट नहीं होता। यदि अपीलांट प्रश्नगत भूमि पर नियमन/आवंटन की तिथि से पूर्व काबिज था तो उसे नियमन हेतु प्रावधानोनुसार आवेदन आवंटन कमेटी के समक्ष करना चाहिये था। आवंटन	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	नियम 1970 के नियम 14(4) के प्रावधानों के तहत मिसरिप्रजेंटेशन या fraud के द्वारा तथ्यों को छुपाकर आवंटन कराने या नियमों के विरूद्ध आवंटन कराने पर या आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की अवहेलना करने पर ही आवंटन खारिज करने का प्रावधान है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा नियम 14(4) की उक्त शर्तो की अवहेलना नहीं पाई है। अपीलांट हमारे समक्ष ऐसा कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं कर पाया जिससे रेस्पोडेंट को किया गया आवंटन विधि विरूद्ध माना जा सके। इस प्रकरण में मात्र 9 बिस्वा नियमन को निरस्त कराने के लिये आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत जिला कलेक्टर के समक्ष अपील नियमन के 16 वर्ष बाद प्रस्तुत की गई थी। रेस्पोडेंट को जो 9 बिस्वा भूमि का नियमन किया गया है, वह उस समय सबंधित सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जाना पाया जाता है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा प्रकरण में पूर्ण परीक्षण व विवेचन करने के उपरांत ही निर्णय पारित किये है। हमारी सुविचारित राय में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आलोच्य निर्णय में विधिक या तथ्यपरक ऐसी कोई अनियमितता/त्रुटि नहीं है जिसके आधार पर अपील के माध्यम से उसमें हस्तक्षेप अपेक्षित हो। अतः अपील खारिज योग्य है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर हस्तगत अपील एतद्द्वारा खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जाकर पत्रावली बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(रामनिवास जाट)** **सदस्य**	

अपील / एलआर / 4736 / 2003 / जिला दौसा
मंगी वगैरह बनाम कन्हैया व अन्य